

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated:

Certified that the Ruby Children Senior Secondary School (name of the building or premises) at A1A2 Chhoti Borkhandi Naya Nohara Kota Rajasthan (address) comprised of No basement(s) and Ground floor only (upper floors) owned/occupied by Ruby Children Senior Secondary School (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 15/03/2022 (date of inspection) in the presence of Mr. Sabir Ali "Secretary" (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class Educational with effect from ..... for a period of One years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on ..... at Municipal Corporation Kota North by

\* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal :

गजेन्द्र सिंह  
उपायुक्त

Name :

Mr. Gajendra Singh  
उपायुक्त

Designation :

Deputy Commissioner Fire

To

Ruby Children Senior Secondary School,  
A1A2 Chhoti Borkhandi Naya  
Nohara Kota Rajasthan

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to empty condition of fire extinguisher and damage condition of fire fighting equipment and life safety signs (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

Principal  
Ruby Children Sr. Sec. School  
Nava Nohra Kota

गजेन्द्र सिंह  
उपायुक्त  
नगर निगम, कोटा

# नगर निगम, कोटा उत्तर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA NORTH/FIRENOC/2021-22/7856  
जारी दिनांक: 25-MAR-2022

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SABIR ALI  
आवेदक का पता: NEW GRAIN MANDI KOTA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन RUBY CHILDREN SENIOR SECONDARY SCHOOL, A1 A2, CHHOTI BORKHANDI, NAYA NOHARA, KOTA, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त माना जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलीटि गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयाधिति में रीफिल कराया होगा।
4. निराक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अग्निशमन पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी कक्षाधी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखा होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूपड्रॉप रेस्टॉरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूपड्रॉप रेस्टॉरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम, कोटा उत्तर

Signature valid

Digitally signed by G.endra Singh  
Designation: FIRE Commissioner  
Date: 2022.03.25 10:04:57 IST  
Reason: Approved



Ruby Children Sr. Sec. School  
Naya Nohra Kota